भारत पाँच रुपये ... INDIA FIVE RUPEES

(136)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निगरानी – 4391/2018/भोपाल/भू.रा. प्रकरण क्रमांक : ....

01. **सूरज सिंह** आ0 श्री नन्नूलाल, वयस्क
02. **लखन** आ0 श्री नन्नूलाल, वयस्क
03. **अजय** आ0 लालजी, वयस्क
04. **सुभाष** आ0 रामचरण, वयस्क
05. **ओमप्रकाश** आ0 रामचरण, वयस्क
06. **बाबूलाल** आ0 रामचरण, वयस्क

निवासी – ग्राम फंदाखुर्द, तहसील हुजूर,
ज़िला भोपाल .... **प्रार्थीगण**

विरूद्ध

01. **लक्ष्मण सिंह** आ0 ईश्वर सिंह, वयस्क
02. **लाड़सिंह** आ0 कन्हैयालाल, वयस्क

निवासी फंदाखुर्द, तहसील हुजूर,
ज़िला भोपाल .... **प्रतिप्रार्थीगण**

आवेदक अभि. श्री नीरज तिवारी द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 21-6-18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.06.2018 , जो प्रकरण क्र. 07/अ–70/2017–18 में न्यायालय श्रीमान् अपर तहसीलदार महोदय, वृत्त–4, तहसील हुजूर, ज़िला भोपाल द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुतृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4391/2018/भोपाल/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-2018	आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण के ग्राहयता के संबंध में अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के आदेश दिनांक 21-6-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा जिस अभिलेख मंगाये जाने की मांग की जा रही है, उक्त दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न होने से तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक पक्ष की आपत्ति सारहीन व तथ्यहीन होने से निरस्त की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती हे । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	